

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2015/चैत्र 18, 1937

No. 120]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2015/CHAITRA 18, 1937

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(मुख्यालय-भविष्य निधि भवन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2015

फा.सं.सम्मे. 5(23)2008/पश्चिम बंगाल/19510.— कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, इसके आगे “योजना” के रूप में संदर्भित, के अनुच्छेद 5 के साथ पठित अनुच्छेद 4 के उप अनुच्छेद (1) के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति (क.भ.नि.) का पुनर्गठन, अध्यक्ष केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) क.भ.नि.सं., मुख्यालय, नई दिल्ली अधिसूचना संख्या सम्मे. 5 (23)2008/डब्ल्यू.बी./29126 दिनांक 18.03.2013 तथा सम्मे.5 (23)2008/डब्ल्यू.बी./10067 दिनांक 01.11.2013 द्वारा किया गया था तथा 01.04.2013 एवं 23.01.2014 क्रमशः को भारत के राजपत्र (असाधारण) खंड - III भाग 4 के अंतर्गत जारी संख्या 91 तथा 25 में अधिसूचित किया गया था।

2. पश्चिम बंगाल राज्य की वर्तमान क्षेत्रीय समिति, (क.भ.नि.) में, अध्यक्ष केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) ने स्वर्गीय श्री काली घोष, महासचिव, सीटू, पश्चिम बंगाल समिति, 53, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700 016 के स्थान पर श्री प्रशांत नंदी चौधरी, सचिव, केन्द्रीय औद्योगिक व्यापार संघ (सीटू) पश्चिम बंगाल समिति, 53, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700 016 को (कर्मचारियों के प्रतिनिधि) के रूप में नियुक्त किया है।

3. तदनुसार, उपर्युक्त अधिसूचना में कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में क.भ.नि. योजना, 1952 के पैरा 4 (1) (डी) के अंतर्गत क्रम संख्या 7 पर प्रविष्टि को निम्नलिखित प्रविष्टि से बदला जाएगा :-

दिनांक 24.05.2014 की अधिसूचना की क्रम संख्या	वर्तमान सदस्य	नए सदस्य
07	स्वर्गीय श्री काली घोष, महासचिव, सीटू, पश्चिम बंगाल समिति, 53, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700 016	श्री प्रशांत नंदी चौधरी, सचिव, केन्द्रीय औद्योगिक व्यापार संघ (सीटू) पश्चिम बंगाल समिति, 53, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700 016

4. यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

राजेश बंसल, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(HEADQUARTERS-BHAVISHYANIDHI BHAWAN)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2015

F.No.Count.5(23)2008/WB/19510.— In pursuance of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952, hereinafter referred to as "Scheme", the Regional Committee (EPF) for the state of West Bengal was reconstituted by the Chairman, Central Board of Trustees, (Employees' Provident Fund) vide EPF Organisation, Head Office, New Delhi notification nos. Conf. 5(23)2008/WB/29126 dated 18.03.2013 and Conf. 5(23)2008/WB/10067 dated 01.11.2013 published under issue no. 91 and 25 Part III Section 4 in the Gazette of India (Extraordinary) on 01.04.2013 and 23.01.2014 respectively.

2. In the existing Regional Committee, (EPF) for the State of West Bengal, the Chairman CBT(EPF) has appointed Shri Prashant Nandi Chowdhary, Secretary, Central Industrial Trade Union (CITU) West Bengal Committee, 53, AJC Bose Road, Kolkata -700 016 as member (employees' representative) in place of late Shri Kali Ghosh, Genl. Secretary, C.I.T.U., W.B. Committee, 53, AJC Bose Road, Kolkata -700 016.

3. Accordingly, in the said notification under the category of member for employees' representative under 4(1)(d) of the EPF Scheme 1952, the following entry shall be substituted at Sl. 7 namely:-

Sl. No. of the Gazette Notification Dated 24.05.2014	Existing Member	Substituted by
7	Late Shri Kali Ghosh, Genl. Secretary, C.I.T.U., W.B. Committee, 53, AJC Bose Road., Kolkata -700 016.	Shri Prashant Nandi Chowdhary, Secretary, Central Industrial Trade Union (CITU) West Bengal Committee, 53, AJC Bose Road., Kolkata -700 016.

4. This will come into force with immediate effect.

RAJESH BANSAL, Addl. Central Provident Fund Commissioner (Headquarters)